

र व तारीख  
काम जो इस  
म की तामील  
में जारी हुए

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>14-6-18</p>	<p>पत्रावली सज्जत लोड अदालत 2010 अ.पं. क्रैडा कु में पेश हुमी रिपोर्ट तदीलकर जिनार्डि डाफा मुताबिक रिपोर्ट कादवणित भूमि ख.नं. 357 वाके ग्राम नौबालनरहर में N.H. में सवाप की गई भूमि के अलावा कुल क्षेत्रफल में N.H. का हिस्सा किमी नही बिपि ऊमा है। अतः वदीगल का वाद लोड अदालत की सवाप के व्याप्ति में स्वीकार किया जाता है। अतिकेरीगल के जरिये सवापी निवेधाना पाबन्द किया जाता है कि वाद वणित भूमि ख.नं. 357 वाके ग्राम नौबालनरहर में N.H. में सवाप मुडा भूमि के अतिकेरीगल की शेष रही भूमि में किसी प्रकार की बाधा मजाहमत नही करें। पाबन्द रहे। पन्नी डिक्ली जारी हो। पत्रावली पैदलशुमार केका नम्बर ले कुम हो तथा उपर दाखिल हो।</p> <p>31 14/6/18 पुनर्पत्रावली अधिकारी [Signature]</p>	

मूल वद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) निवाई  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी :- उपखण्ड अधिकारी निवाई

उनवान

उपखण्ड अधिकारी बनाम M.H.A.P.

दावा बाबत रुचार्चा निवेशक व आवास विकास

मुकदमा नम्बर :- 79/2017

निर्णय दिनांक :- 14-6-18

वादी की ओर से.....

की व प्रतिवादी की ओर से.....

की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 14-6-18 को हरिनाथ (नाम पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

वादियों का वाद लोक अदालत की भावना से न्यायिक में स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादी को जरूर रुचार्चा निवेशक को पावन दिया जाता है कि वादवर्ति भूमि ख.नं. 357 वर्ग ग्राम नंगलनगर में M.H. में आवास विकास के अंतर्गत वादियों की ओर से भूमि में रुचार्चा निवेशक की बाधा मजदूर नही करे। पावन रहे।

खर्चा पक्षकारान्त अपना - अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 14-6-18 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्र लगाकर दी गई।

31 14/6/18  
पीठासीन अधिकारी एवं  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलेक्टर, निवाई  
अमर कोट अरुण

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	/	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	/
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीड की फीस	
4. ....रुपये प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमीशनर की फीस		कमीशनर की फीस	
7. आदेशिका की तामील			
जोड़े		जोड़े	

पीठासीन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी  
एवं पदेन सहायक कलेक्टर, निवाई